रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1471] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2015/आषाढ़ 19, 1937
No. 1471] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2015/ASHADHA 19, 1937

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015

का.आ. 1863(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ जिला एवं सत्र न्यायालय, देहरादून को 25 जून, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित 25 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1455(अ) के तहत विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण उत्तराखंड राज्य था;

और जबकि, श्री राजकृष्ण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिन्हें दिनांक 08 जुलाई, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 08 जुलाई, 2013 की अधिसूचना सं. 2078(अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, दिनांक 31 अगस्त, 2013 को सेवानिवृत्त हो गए हैं;

और जबकि श्री रामसिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून जिन्हें श्री राजकृष्ण के स्थान पर उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 08 जुलाई, 2013 की अधिसूचना सं. 2078 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने के लिए छोड़ दिया गया था, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एतद्वारा, श्री अनुज कुमार सांगल, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आई एस- IV (भाग-1)]

एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2015

S.O. 1863(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 1455(E) dated the 25th June, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th June, 2011, notified the District and Sessions Court, Dehradun as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having Jurisdiction throughout the State of Uttarakhand for the trial of scheduled offences;

And whereas, Shri Raj Krishan, District and Sessions Judge, Dehradun who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 2078(E), dated 8th July, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (ii), dated the 8th July, 2013, has since retired on 31st August, 2013;

And whereas, Shri Ram Singh, District and Sessions Judge, Dehradun who was appointed by the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Uttarakhand to preside over the said Special Court in place of Shri Raj Krishan has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act and in supersession of the notification number S.O. 2078(E), dated the 8th July, 2013, except as regards things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Uttarakhand, hereby appoints Sri Anuj Kumar Sangal, 2nd Additional District and Sessions Judge, Dehradun as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009-IS.IV (Part-1)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.